प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

दिल्ली, भारत की राजधानी होने के कारण राजनितिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत विस्तार का केन्द्र है। तदनुसार, दिल्ली पुलिस को संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने, बीट अधिकारी द्वारा पड़ोस मे पेट्रोलिंग करने, ट्रेफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक का प्रबंधन करने से लेकर विशेष सेल द्वारा संगठित अपराध से लड़ने तक, इत्यादि की विभिन्न भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के लिए जाना जाता है। अतः, दिल्ली पुलिस के विस्तार के आयामों एवं महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है।

इन परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि दिल्ली पुलिस में पर्याप्त पुलिस कर्मी हैं, और उनके पास आवश्यक हथियार, वाहन, बुलेट प्रूफ जैकेटें तथा अन्य उपकरण पर्याप्त रूप से हैं। ऐसे प्रमुख संगठन में कुछ कमियाँ होंगी यह भी अप्रत्याशित नहीं है। जो मामले बाकी हैं और जिन्हें प्रतिवेदन में इंगित किया गया है, को इसलिए हितधारकों द्वारा दोषपूर्ण व्यवहार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह कमियां दिल्ली पुलिस को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने के रचनात्मक सुझावों के रूप में इंगित की गयी हैं।

इस प्रतिवेदन में कुछ क्षेत्र जैसे विशेष रूप से पुलिस स्टेशनों पर जनशक्ति की कमी जिसके परिणामस्वरुप अत्यधिक घंटों तक ड्यूटी तथा अन्य संसाधनों जैसे-वाहनों, उपकरण तथा भौतिक अवसंरचना में कमी की पहचान की गई है जो कुशल पुलिसिंग पर प्रभाव डालती है। यद्दपि, दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को पुनर्निमित किया गया, नागरिकों की सुविधा के लिए मोबाईल और वेब एप्लीकेशनों को आरम्भ किया गया तथा भौतिक अवसंरचना में सुधार किया जा रहा था, तथापि प्राथमिकता के आधार पर इनकी 20 वर्ष पुरानी संचार प्रणाली को उन्नयित किये जाने की आवश्यकता है।